न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 27/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बिरमादेवी पत्नी गणपतराम जाति विश्नोई निवासी संजय कॉलोनी, नागौर।		पटवारी हल्का नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री अनिल गौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 11.03.20

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 19/2016 पटवारी हल्का बनाम बिरमादेवी में निर्णय दिनांक 12.02.16 के तहत मौजा नागौर के खसरा नं. 138 रकबा 0.06 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.03.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 15.03.16 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण संख्या 19/2016 पटवारी हल्का नागौर बनाम बिरमादेवी के फर्द अहकाम दिनांक 20.1.16 से 12.2.16 तक की आदेशिका की फोटोप्रति, अपीलांट को जारी नोटिस की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 12.02.16 की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत आवेदन पत्र की फोटोप्रति तथा मौजा नागौर की जमाबंदी संवत 2065 से 2068 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वान्त, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, रेकर्ड व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–नैसर्गिक न्याय का सिद्वान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात ही किसी प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही करनी चाहिये, मगर वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्रियाकलापो से व अपनी मनोदशा से स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया है कि वह प्रकरण को शीघ्रताशीघ्र निस्तारण कर प्रार्थिया को बेदखल करने पर आमादा है, जिस तथ्य के सबंध में बार–बार अपीलांट ने धारा 235 आरटी एक्ट के आवेदन व तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत धारा 10 सीपीसी के आवेदन व समय समय पर प्रस्तुत जवाब इत्यादि में इन तथ्यो की पुष्टि की है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने इस हेतुक की प्राप्ति हेतु ही जल्द से जल्द यानि 1–2 दिन के अंतराल की तारीख पेशियां देना प्रकरण में शुरू किया गया, जिससे अपीलांट को उसी समय यह आशंका हो गई थी कि अब प्रकरण में वर्तमान पीठासीन अधिकारी से उसे किसी प्रकार का न्याय नही मिलेगा, जिन तथ्यो को सिद्व करते हुए पूर्वाग्रहपूर्ण मंशा को स्पष्ट जाहिर कर वर्तमान आदेश जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आदेश 10 सीपीसी का एक आवेदन दिनांक 12.02.16 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, तब तहसीलदार नागौर ने उसमे समय 5:15 पीएम अंकित किया था, जबकि सामान्य परिस्थिति मे कभी भी न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर समय का अंकन नही

अपर कलक्टर, नागौर

किया जाता है, उस दिन प्रार्थिया के अधिवक्ता पूरे दिन तहसीलदार का इंतजार उनके न्यायालय मे करते रहे, मगर तहसीलदार 5:00 पीएम के बाद न्यायालय मे आये व आते ही प्रार्थिया की पत्रावली पर ही कार्यवाही करने पर आमादा हो गये। इस कारण से तहसीलदार नागौर की मंशा स्पष्ट रूप से यह जाहिर करती है कि वह प्रार्थिया के प्रकरण को अन्य प्रकरणो से अलग मानकर स्पष्ट रूप से उसके विरूद्व कार्यवाही करने की मंशा रखते हुए सुनवाई कर रहे थे। अपीलांट के उक्त आवेदन को न तो दर्ज किया गया एवं नही आदेशिका दिनांक 12.2.16 में इस बात का अंकन किया गया कि अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता ने किसी प्रकार का आवेदन पेश किया हो। अपीलांट के आवेदन पर न तो सुनवाई की, न जवाब तलब किया एवं न किसी प्रकार आदेश ही पारित किया अर्थात धारा 10 सीपीसी का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आज भी बिना निर्णय के लंबित है। जिन तथ्यो से स्पष्ट प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रकरण को अलग नजरिये से अदावतीपूर्ण मंशा से सुनवाई करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट द्वारा एक मुन्तकिल आवेदन अधीन धारा 235 आरटीएक्ट माननीय जिला कलक्टर न्यायालय नागौर के समक्ष दिनांक 15.2.16 को पेश किया गया, जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.2.16 दी गई थी एवं दिनांक 15.2.16 को ही जिला कलक्टर न्यायालय नागौर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कमेन्टस कॉल कर लिये गये थे, मगर दिनांक 29.2.16 तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय जिला कलक्टर न्यायालय को किसी प्रकार की विवेचना अथवा कमेन्टस प्रकरण के संबंध में नही दी गई, अगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.2.16 को ही वास्तव में किसी प्रकार का निर्णय जैर अपील पारित किया जाता तो जिला कलक्टर न्यायालय को उपरोक्त निर्णय जैर अपील की सूचना तुरंत दे दी जाती, परंतु ऐसा कुछ भी वर्तमान प्रकरण मे किया ही नही गया, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपूर्व संदेहास्पद परिस्थितियो मे निर्णय जैर अपील दिनांक 12.2.16 के पश्चात की किसी तिथि को पारित किया है जो दिनांक 29.2.16 के बाद की भी है। जिससे न केवल निर्णय जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है, अपितु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्व अपने पदीय कर्तव्यो में बरती गई कोताही के लिये आवश्यक जांच व कार्यवाही उच्चतम अधिकारियो की टीम द्वारा किया जाना भी अति आवश्यक है, जिससे प्रकरण की वास्तविक स्थिति भी उजागर होगी व प्रकरण के सुसंगत तथ्य पत्रावली पर आ जायेगे।

{2}(V)–अपीलांट ने अपने धारा 235 आरटी एक्ट के आवेदन में स्पष्ट इंगित किया कि "प्रार्थिया को यह भी आशंका है कि तहसीलदार द्वारा पूर्व की तिथी में प्रार्थिया के विरूद्व पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आदेश पारित किया जा सकता है, ऐसा पारित कोई भी आदेश प्रार्थिया के अधिकारो के प्रति नगण्य है। तहसीलदार नागौर किसी भी हद तक प्रार्थिया के विरूद्व जाकर निर्णय करने पर आमादा है।" ठीक उसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण किया है तथा दिनांक 12.2.16 को अपीलांट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष शाम करीब 5:30 बजे तक हाजिर थे व धारा 10 सीपीसी के आवेदन के निस्तारण कर बारम्बार निवेदन कर रहे थे, उन्हे किसी प्रकार की जानकारी निर्णय जैर अपील के संबंध में दी ही नही गई। जिससे भी स्पष्ट प्रमाणित है कि उपरोक्त निर्णय जैर अपील संदिग्ध स्थिति में पारित किया गया है, जो विधिक दृष्टिकोण से चलने योग्य नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.2.16 को प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि प्रार्थिया अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहती है व जवाब के साथ जो दस्तावेज पेश करना चाहती है, वो भी वर्तमान में अपीलांट के पास नही है, जिस हेतु युक्तियुक्त समय की आवश्यकता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र 2 दिन का अवसर देकर न्याय नही किया है, तहसीलदार नागौर का यह कृत्य अपने में निहित क्षेत्राधिकारो का गलत व अविधिक प्रयोग करना स्वयं प्रतीत होता है। इस कारण भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के विरूद्व केवलमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी करार देते हुए बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये, जबकि अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमी होने बाबत कोई सुदृढ व स्पष्ट साक्ष्य तक नही थी। उक्त पटवारी रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से तैयार की गई है, जो कि केवलमात्र अदावती के रहते तैयार करवाकर उक्त मामला दर्ज करवाया गया है, जिससे भी उक्त आदेश खारिज होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VIII)–अपीलांट को जवाबदेही, साक्ष्य व सबूत व दस्तावेज पेश करने के अधिकार से वंचित रही है और किसी भी व्यक्ति को उसके विरूद्व निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया जाना आज्ञापक है, परंतु उक्त नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है।

{2}(IX)–उपरोक्त प्रकरण मे न तो अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की निष्पक्ष मौका रिपोर्ट बनवाई गई, जो मौका रिपोर्ट बनवाई गई है, वह मौके की स्थिति व वास्तविकता के विपरीत है। न ही प्रकरण मे पटवारी के बयान लिये गये, अतिक्रमण बाबत किसी भी प्रकार का नक्शा भी नही बनवाया गया, इस प्रकार अपीलांट के विरूद्व किसी भी प्रकार की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य नही होते हुए भी केवलमात्र आवेदन के आधार पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानकर राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत आज्ञापक प्रावधानो की अवहेलना की गई है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(X)–वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस नकल खतौनी संवत 2065 से 2068 वाके नागौर के खसरा नं. 138 प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी भूमि स्थानीय निकाय नगर परिषद् को हस्तान्तरित हो चुकी है तथा उनके पक्ष मे नामान्तरकरण सं. 2468 दिनांक 28.08.19 के द्वारा राजस्व रेकर्ड मे अंकन हो चुका है। ऐसी स्थिति मे आराजी भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की न होकर स्थानीय निकाय विभाग की भूमि है। जिसके लिये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा नागौर में स्थित मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 138 रकबा 0.06 बीघा मगरा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। नवीनतम तथ्यो के अनुसार मौजा नागौर के खसरा नं. 138 मे से 6.06.01 बीघा भूमि स्थानीय निकाय नगर पालिका को हस्तान्तरित हुई है। आया यह भूमि इसी भू भाग मे है अथवा नही, के संबंध मे जांच की जानी उचित प्रतीत होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मौके की ताजा स्थिति एवं भूमि का वर्तमान स्वामित्व अभिलेख रेकर्ड पर लेकर अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर